



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2018/फाल्गुन 29, 1939

No. 108]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2018/PHALGUNA 29, 1939

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2018

**सं.पीएनजीआरबी/मॉनीटरिंग/क्यूएस/सीजीडी/01.**—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए गुणवत्ता सेवा संबंधी आचार पद्धति) विनियम, 2010 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

## 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए गुणवत्ता सेवा संबंधी आचार पद्धति) विनियम, 2018 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए गुणवत्ता सेवा संबंधी आचार पद्धति) विनियम, 2010 के विनियम 4 के उप-विनियम (1) की धारा (छ) में "परिसर के कानूनी मालिक द्वारा", शब्दों के पश्चात "या परिसर के कानूनी मालिक और किरायेदार के बीच किराया समझौता" सम्मिलित किया जाएगा।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/असा./479/17]

**पाद टिप्पणी :** मुख्य विनियम सं. सा.का.नि. 720(अ) दिनांक 01 सितम्बर 2010 के तहत जारी किए गए थे।

**PETROLEUM NATURAL GAS REGULATORY BOARD****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2018

**No. PNGRB/Monitoring/QS/CGD/01.**—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Code of Practice for Quality of Service for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2010, namely: -

**1. Short title and commencement.**

1. These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Code of Practice for Quality of Service for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2018.
2. These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette
2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Code of Practice for Quality for Service for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2010, in sub-regulation (1) of regulation 4, in clause (g), after the words “from the lawful owner of the premises”, the words “or the rent agreement between lawful owner of the premises and tenant” shall be inserted.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./479/17]

**Foot note :** Principal Regulations were notified *vide* G.S.R. 720(E), dated 01st September 2010